उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

क्रमांक /आई.डी./09/ 4186-4249 भोपाल, दिनांक 24/08/09
प्रति

प्रबंध संचालक
औद्योगिक केन्द्र विकास निगम,
भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन/जबलपुर।

संयुक्त उद्योग संचालक,
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन/जबलपुर/सागर

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
------------------ ।

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण एवं व्याख्या।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों में भूमि एवं शेड आवंटन /प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 जारी कर दिनांक 1 जुलाई 2009 से प्रभावशील किए गए है । उक्त नियमों के संदर्भ में प्रक्रियाधीन आवेदनों /प्रकरणों का निराकरण किस प्रकार किया जाये , इस संबंध में मार्गदर्शन हेतु विभिन्न संदर्भ प्राप्त हुए है ।

2/ मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 की कंडिका "29" के अधीन प्रदत्त अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में , इस संबंध में बिन्दुवार स्थिति , निम्नानुसार स्पष्ट की जा रही है :-

क्रमांक	प्रक्रियाधीन आवेदन/प्रकरण की स्थिति	स्पष्टीकरण / व्याख्या
1	दिनांक 1/7/09 की स्थिति में , आवेदक से प्राप्त पूर्ण आवेदन प्रतीक्षा सूची में दर्ज है।	नियम "12" (iv) के प्रावधान अनुसार प्रकरणों का निराकरण किया जाये ।
2	दिनांक 1/7/09 से पूर्व प्राप्त आवेदन के संदर्भ में , आशय पत्र दिनांक 1/7/09 से पूर्व जारी हो चुका है । आवंटन आदेश जारी होना व पट्टाभिलेख निष्पादन शेष है ।	दिनांक 1/7/09 से पूर्व प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आवंटन आदेश जारी करने व पट्टाभिलेख निष्पादन की कार्यवाही की जाये। परन्तु नवीन नियमों की कंडिका "9" (iv) के अनुसार ऐसे आवंटीयों से संधारण शुल्क भी नवीन नियमों में वर्णित प्रब्याजी की 1 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा ।

3	दिनांक 1/7/09 से पूर्व प्राप्त आवेदन के संदर्भ में, आशय पत्र और आवंटन आदेश दिनांक 1/7/09 से पूर्व में जारी हो चुके हैं। पट्टाभिलेख निष्पादन शेष है।	दिनांक 1/7/09 से पूर्व प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पट्टाभिलेख निष्पादन की कार्यवाही की जाये। परन्तु नवीन नियमों की कंडिका "9" (iv) के अनुसार ऐसे आवंटीयों से संधारण शुल्क भी नवीन नियमों में वर्णित प्रव्याजी की 1 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा।

3/ प्रकियाधीन आवेदन/प्रकरण का कृपया उक्तानुसार निराकरण सुनिश्चित करें।

(दीपक खांडेकर) 24/8/09
उद्योग आयुक्त
म.प्र.

कमांक /आई.डी./09/ 4250-4252 भोपाल, दिनांक 24/08/09
प्रतिलिपि :-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसेलिटेशन कार्पोरेशन लि. ए.व्ही.एन.टॉवर, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल।

(दीपक खांडेकर) 24/8/09
उद्योग आयुक्त
म.प्र.